जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा धनारी [illegible] नागराज मंदिर तक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 10.00 कि0 मी0 लम्बाई डुण्डा-धनारी मो0 मार्ग से सेमनाग राज मन्दिर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का [illegible] दिनांक 4.12.2015 को संबन्धित सहायक अभियन्ता श्री सन्नी दयाल के साथ निरीक्षण किया गया।

2- राज्य योजना के अन्तर्गत डुण्डा-धनारी मोटर मार्ग से सेम नागराज मंदिर तक 10.0 कि0 मी0 लम्बाई मे मोटर मार्ग का निर्माण [illegible] है। मार्ग के निर्माण हेतु खण्ड के द्वारा दो समरेखनो पर विचार किया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियो की असहमति एवं कुछ [illegible] बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुये प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 उत्तरकाशी के द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग का निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन डुण्डा धनारी सेम मुखेम निर्मित मो0 मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है। स्वीकृत लम्बाई में सेम नागराज पहुंच कर समाप्त होता है। कि0 मी0 4 (3/11-14) में समरेखन एक गधेरे को पार करता है जिस पर लघु सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त कि0 मी0 6 में भी पुलिया का निर्माण कराना होगा। समरेखन में तीन हेयरपिन बैंड्स हैं, जो कमश कास सैक्शन 3/21, 5/15 व 7/18 में दिये गये हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन नाप भूमि एवं वन भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में मुख्यतः क्वॉटजाईट चट्टान व बोल्डर आदि है तथा स्थान स्थान पर मिट्टी/डब्री का ओवरबर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता संज्ञान में नही आई।

3- समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथा सम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉ इनका निर्माण [illegible] पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाय कि समरेखन में प्रस्तावित हयर पिन बैण्ड का [illegible] युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाय।

(ग) सेतु/पुलिया का निर्माण उपयुक्त [illegible] पर सावधानी पूर्वक कराया जाय।

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

सम्मिलित [illegible]
प्रयोग किये [illegible]
समतल [illegible]
जाये जिससे कोई अस्थिरता [illegible]

(vi) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक [illegible] स्कावजोर का विशेष रूप [illegible] बैण्ड्स एवं आबादी वाले भाग में [illegible] ब्रेस्ट [illegible] का निर्माण कराया जाए।

(vii) वर्षा के पानी की समुचित निकासी [illegible] ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाए [illegible] सुरक्षा [illegible] है

(viii) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग के निर्माण [illegible] अभियन्ताओं के सुझाव मानकों एवं [illegible]

4 मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बन्धी बिन्दु

(1) मार्ग कटान के पश्चात जिस [illegible] स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल मे पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(2) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट सक्रिय हो सकते हैं, तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता [illegible] कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की [illegible]

5 डुण्डा–धनारी मो0 मार्ग से सेम नागराज [illegible] हेतु 10.00 कि0 मी0 [illegible] का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान [illegible] के लिये उपयुक्त [illegible] उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन [illegible] में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाय।

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

H [illegible] 6/15
[illegible]
[illegible] (स0नि0)
[illegible]